

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक्र.क्रमांक-186/2012

संस्थित दिनांक-15.03.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

इंदरसिंह पिता बिसरू सिंह धुर्वे, उम्र 25 वर्ष,  
साकिन—नरवारी टोला (बारिया), थाना परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-02/01/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-11.03.2012 को शाम करीब 10:00 बजे ग्राम बखारीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी किसनू धुर्वे को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थी/आहत किसनू धुर्वे को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया तथा आहत युवराज को लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति और प्रार्थी को को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-11.03.2012 को समय करीब 10:00 बजे ग्राम बखारीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर जिला बालाघाट अंतर्गत आरोपी ने फरियादी किसनूसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर कुल्हाड़ी से उसके बांये पैर एवं दाहिने कान पर मारा तथा उसे जान से मारने की धमकी दिया। घटना समय युवराज द्वारा बीच-बचाव किये जाने पर आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट किया। उक्त घटना में आहत किसनू के कान और पैर में चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध दर्ज करायी गई, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-26/2012 अंतर्गत धारा-294, 324, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर घटना में प्रयुक्त संपत्ति जप्त किया गया तथा प्रार्थी एवं साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 323 506(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-11.03.2012 को शाम करीब 10:00 बजे ग्राम बखारीटोला, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी किसनू धुर्वे को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी/आहत किसनू धुर्वे को कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत युवराज को लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति किया?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी को को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत किसनू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दो वर्ष पुरानी है, आरोपी ने पानी के विवाद पर से लकड़ी से उसके कान में मारा था, जिससे उसके कान से खून बहने लगा था। आरोपी ने उसके पैर पर भी मारा था, जिससे उसे चोट आयी थी। उसके अलावा आरोपी ने उसके लडके युवराज को पेट में मारा था। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की गई थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका तथा युवराज का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय शराब पीया हुआ था और यदि शराब नहीं पीता तो लड़ाई नहीं होती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी से नहीं मारा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि लकड़ी से मारा था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट कर उपहति कारित करने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं हो सका है कि घटना के समय आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की या उसे उपहति कारित नहीं की। इस प्रकार साक्षी के कथन में आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी के स्थान पर लकड़ी से प्रहार कर उसको चोट पहुंचाये जाने का तथ्य प्रकट किया गया है,

जो महत्वपूर्ण विरोधाभाष होना प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने आरोपी के द्वारा उसे साधारण उपहति कारित किये जाने के तथ्य का समर्थन किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

6— आहत युवराज (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, जो उसके बड़े पिताजी का लडका है। प्रार्थी किसनू उसके पिताजी है। घटना दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसके पिताजी किसनूसिंह तथा उसके बड़े पिताजी बिसनूसिंह का झगडा हो रहा था। घटना समय जब वह अपने पिताजी किसनूसिंह को बचाने गया तो आरोपी अपने घर से निकल कर आया और उसके पेट पर लकड़ी से मार दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी और किसनूसिंह के बीच झगडा नहीं हो रहा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी ने उसे बाद में आकर मारा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। उक्त आहत को आरोपी के द्वारा उपहति कारित करने का समर्थन किसनू (अ.सा.1) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार आहत किसनू एवं युवराज को आरोपी के द्वारा लकड़ी से मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने के तथ्य का खण्डन नहीं होने से यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त आहतगण को आरोपी ने लकड़ी से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की थी।

7— अनुसंधानकर्ता धानूलाल सोनेकर(अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.03.2012 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-26/12, धारा-294, 324, 506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-12.03.2012 को युवराज की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से एक कुल्हाड़ी एवं लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी किसनू, युवराज, नीता, पंचम, रामकली के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

8— बचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह तर्क पेश किया गया है कि आहत किसनू (अ.सा.1) ने अपने पुलिस कथन से हटकर साक्ष्य में कुल्हाड़ी के स्थान पर लकड़ी से मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकट कर विरोधाभाषी कथन किये हैं, इस कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आहत किसनू ने कुल्हाड़ी के स्थान पर लकड़ी से मारपीट कर उपहित कारित किये

जाने का तथ्य पेश किया है, जिसका खण्डन उसकी साक्ष्य में नहीं हो पाया है। अन्य आहत युवराज (अ.सा.2) ने भी आरोपी के द्वारा लकड़ी से उसे मारपीट किये जाने का तथ्य पेश किया है। इस प्रकार मामले की प्रकृति को देखते हुये आरोपी द्वारा मारपीट में उपयोग किये गये साधन कुल्हाड़ी के स्थान पर लकड़ी से मारपीट किये जाने के तथ्य को महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं माना जा सकता।

9— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में प्रस्तुत आहतगण किसनू (अ.सा.1), युवराज (अ.सा.2) की साक्ष्य अखण्डित रही है तथा साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार मामले में प्रस्तुत आहतगण की साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित माना जा सकता है।

10— फरियादीगण किसनू (अ.सा.1), युवराज (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित रूप से अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादीगण को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया अथवा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास करने का अपराध कारित किया।

11— आरोपी के द्वारा घटना के समय आहतगण को मारपीट किये जाने के समय प्रयुक्त साधन से उन्हें उपहति कारित करने का आशय रखते हुये जानबूझकर चोट पहुंचायी गई है। इस प्रकार आरोपी ने जानते हुये आहतगण को चोट पहुंचाने के आशय से उन्हें उपहति कारित की, उक्त कृत्य स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। आरोपी के द्वारा आहतगण को लकड़ी से उपहति कारित की गई है, जबकि अभियोजन के अनुसार आहत किसनू को आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट किया है और आरोपी से कुल्हाड़ी की जप्ती भी की गई है, किन्तु स्वयं आहत किसनू ने आरोपी के द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने का समर्थन न करते हुये मात्र लकड़ी से उसे मारपीट कर उपहति कारित करने का तथ्य पेश किया है। ऐसी दशा में आरोपी को खतरनाक साधन के रूप में कुल्हाड़ी का उपयोग कर आहत किसनू को उपहति कारित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के स्थान पर मात्र स्वैच्छया उपहति हेतु धारा-323 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने आहत किसनू एवं युवराज को लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया अथवा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास



कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष धारा-323 (दो काउंट) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13- आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्-

14- आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

15- मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले में आरोपी और फरियादी के आपसी विवाद को लेकर घटना के समय आरोपी ने आहतगण को मारपीट कर उपहति पहुंचायी है। आहत किसनू ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय शराब के नशे में होने तथा उस कारण विवाद होने का तथ्य स्वीकार किया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 (दो काउंट) के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 1000-1000/- (एक-एक हजार रुपये) कुल 2000/- (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 (दो काउंट) के अपराध के अंतर्गत एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

16- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17- प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी एवं लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट